संख्या-04/2022/25/78-1-2022-50आई0टी0/2015

प्रेषक,

कुमार विनीत,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 22 मार्च, 2022

विषयः उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय के कार्यों के सम्पादन हेतु कन्सल्टेण्ट संस्था को देय शुल्क के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 60,89,580/- की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, संख्या-यूपीएलसीःआईसीपीः9064 (2021-22)/806, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 एवं यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसीःआईसीपीः9064 (2021-22)/837, दिनांक 03 जनवरी, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय के कार्यों के सम्पादन हेतु कन्सल्टेण्ट संस्था को देय शुल्क के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्ष 2852-उद्योग, 07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग, 202- इलेक्ट्रानिक्स, 27-शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था, 42-अन्य व्यय मद में हो रही बचत से ''लेखा शीर्ष 2852-उद्योग, 07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग, 202-इलेक्ट्रानिक्स, 20- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन, 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद हेतु संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित धनराशि रू0 60,89,580/- (रूपये साठ लाख, नवासी हजार,पॉच सौ अस्सी मात्र)को पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति, निदेशक उद्योग के निर्वतन पर रखे जाने एवं प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्निलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26.06.1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण कर उसे पीएलए/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) जिस वर्ष में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(8) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(9) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रह है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(10) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2852-उद्योग, 07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग, 202- इलेक्ट्रानिक्स, 27-शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था, 42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से पुनर्विनियोग द्वारा वहन किया गया जायेगा तथा लेखा शीर्ष 2852-उद्योग, 07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग, 202-इलेक्ट्रानिक्स, 20- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वहयन, 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

(11) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रशासकीय विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त धनराशि की स्वीकृति से योजना के दिशा-निर्देश प्रभावित न हों।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव।

संख्या-04/2022/25(1)/78-1-2022 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4–निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त् निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, प्लान फाइनेंस-1 डिवीजन व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजनअनु0-4
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योगअनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

फार्म-बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भॉति देख लिया जाये)

अनुदान संख्या व नामः 007, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) वित्तीय वर्षः 2021-22

(धनराशि रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में) आयोजनागत/ आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
लेखा शीर्ष 2852-उद्योग, 07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग, 202-इलेक्ट्रानिक्स, 27-शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था, 42-अन्य व्यय मद	200.00	200.00	60.8958	60.8958	139.1042
योग	200.00	200.00	60.8958	60.8958	139.1042

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/ आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
लेखा शीर्ष 2852-उद्योग, 07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग, 202-इलेक्ट्रानिक्स, 20- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन, 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद	0.00	60.8958	60.8958	60.8958	60.8958
योग	0.00	60.8958	60.8958	60.8958	60.8958

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नोट:-

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में हेतु लेखा शीर्ष 2852-उद्योग, 07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग, 202-इलेक्ट्रानिक्स, 27-शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था, 42-अन्य व्यय मद के अन्तर्गत रू0 200.00 लाख की बचत संभावित है एवं लेखा शीर्ष 2852-उद्योग, 07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग, 202-इलेक्ट्रानिक्स, 20- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन, 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद वर्तमान के दृष्टिगत धनराशि रू0 60.8958 लाख का व्यय सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:- उक्त तालिका-10 में वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

अनुदेश

1. प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से संबंधित पुनर्विनियोगों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भारित व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में भारित अंकित कर दिया जाय।
2. जिन लेखाशीर्षो में प्रभाव पड़ेगा उनका वर्णन ब्योरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।
3. कालम-2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि, जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक संबंधित लेखाशीर्ष के अंतर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हों, को सम्मिलित किया जाये।
4. प्रपत्र के कालम-5, 6 व 11, 12 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोग अंकित किया जायेगा।

संख्या:आर:ई - 534/ई- दस- 22, दिनांक 16.03.2022

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद ।

नाम - बराती लाल
पदनाम- संयुक्त सचिव
आईटी एवं इले0 विभाग
संख्या- 25(3) /78-1-2022

नाम -
पदनाम-
वित्त विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उद्योग कानपुर (नियंत्रक अधिकारी)
2. मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से

बराती लाल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।